employees, including employees working in the Postal Department, Railways, banks, insurance companies, FCI, BSNL and also those working under the Odisha Government. I appeal for your intervention to direct the Kendriya Vidyalaya Sangathan authorities to expedite pending process swiftly ensuring the establishment of the Kendriya Vidyalaya at Patnagarh, Titlagarh and other places as mentioned above. This initiative is in line with our commitment to provide quality education in the underdeveloped regions fulfilling the educational needs of the students from the families of the Central and State Government employees. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Niranjan Bishi: Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Concern over cruelty against animals in India

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा): जय जगन्नाथ! माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे ज़ीरो ऑवर में एक सेंसेटिव टॉपिक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इंसानों के लिए और कितनी ही स्कीम्स के लिए सभी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर बोलना चाहती हूँ, जो मासूम जानवरों से संबंधित है।

महोदय, महात्मा गाँधी ने कहा था, "The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated." हमने देखा है कि इंसान और जानवर साथ में रहते हैं और भगवान भी जानवरों को अपने साथ में लेकर चलते हैं। जानवर की कोई प्रजाति विलुप्त न हो जाए, इसलिए सारे भगवान अपने साथ पशु-पक्षियों को वाहन के रूप में लेकर चलते हैं, मगर हम इंसान क्या करते हैं? आज जब मैं पशु क्रूरता के ऊपर बात कर रही हूँ, तो मैं इस सदन के माध्यम से यह रिक्वेस्ट करूँगी कि जो आर्टिकल 377 है, उसको और कठोर से कठोर बनाया जाए और उसको बीएनएस में भी इन्क्लूड किया जाए। उसमें कड़े से कड़े प्रावधान किए जाएं और BNS में उसको include किया जाए, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में देखते हैं कि किस तरह से पशुओं पर क्रूरता होती है। पशुओं पर लैंगिक अत्याचार होता है। नोएडा में देखा गया कि एक प्रेगनेंट कुतिया को तीसरी मंज़िल से नीचे फेंक दिया गया। महोदय, पशुओं को भी जीने का हक है, हमारी पृथ्वी सबके लिए है। मैं फिर एक बात बोलूंगी कि जो एक्टिविस्ट पशुओं के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार होता है, उनको भी देखना चाहिए। अनऑथराइस्ड स्लॉटर हाउसेज़ के ऊपर कार्यवाही करके उनको बंद करना चाहिए। जो एक्टिविस्ट क्रूरता के विरुद्ध काम करते हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार होता है, उनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। सरकार एक टास्क फोर्स गठित करे। वह टास्क फोर्स पशु क्रूरता करने वालों को पकड़ कर

punishment दे। सर, punishment का प्रावधान तो है, मगर वह एक्ट बहुत पुराना हो चुका है। पुराना होने के कारण कहीं भी पशुओं के ऊपर क्रूरता होती है, तो मानसिकता यह होती है कि 100-50 रुपये देकर छूट जाओ। महोदय, उस एक्ट में चेंज होना चाहिए और इसके लिए कड़े से कड़ा प्रावधान होना चाहिए, ताकि हम अपने पशुओं को संभाल कर रख सकें। आज कल पशुओं की मानसिकता बदल गयी है, वे friendship में जी रहे हैं, मगर हमारे अंदर कहीं न कहीं पशु प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिल रही है। हम पशुओं के साथ क्रूरता के साथ behave करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी पशु-पक्षियों को दाना देते हैं, उनको प्यार करते हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस विषय को संज्ञान में लेकर उचित कदम उठाएं।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI SEEMA DWIVEDI): The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shrimati Sulata Deo: Dr. Amee Yajnik (Gujarat), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Kamakhya Prasad Tasa (Assam), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Now, Dr. Ashok Bajpai.

Demand to make laws to prevent discord among ethnic and religious communities in India

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, आज दुनिया के 100 से अधिक देशों में वहां की आस्था और विश्वास, ईश्वर के प्रति उनके मन में जो आस्था है, उसका अपमान करने, उसकी आलोचना करने, उसके विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं भारत वर्ष में, यहां लगभग सवा सौ करोड़ आबादी एक वर्ग के हिंदू समाज की है। हिंदू समाज उदारवादी और सहिष्णु माना जाता है और इसी को लेकर इसकी एक विशेषता है। आज धीरे-धीरे यह हमारी उदारवादिता और सहिष्णुता हमारी कमज़ोरी बन गई है। जब कोई चाहे, किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी हमारी आस्था पर, हमारे विश्वास पर, हमारी आध्यात्मिक चेतना पर और हमारे धार्मिक प्रतीकों पर कर सकता है। उसके लिए उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। मान्यवर, ऐसे तमाम देश हैं, जहां ईश निंदा को लेकर फांसी तक की सज़ा है, मृत्युदंड तक का प्रावधान है, लेकिन हमारे जैसे देश में हम दूसरे धर्मों का आदर करते हैं और हमारा धर्म यह शिक्षा देता है कि सभी धर्मों के प्रति हमारे मन में आदर हो, हम उनका सम्मान करें, लेकिन लगातार दूसरे धर्मावलम्बी हमारे धर्म के प्रति जिस तरीके की